

HH4-13

19/3/12

In the High Court of Judicature at Patna

( Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. of 2012

Abhisek Kumar .....Petitioner

Versus

The State of Bihar and anothers....Respondents.

Sub: - Counselling + appointment  
School Service (Non-Gazetted)

Index.

1. Petition Under Article 226 of the Constitution of India. 1-10
2. Annexure-1: A Photocopy of Certificate issued by Principal dt. 1.12.2011. 11-
3. Annexure-2: A Photocopy of application form. 12-14
4. Annexure-3: A Photocopy of Educational certificates (series) 15-16
5. Annexure-4 series: - A Photocopies of affidavits. 17-19
6. Annexure-5: A Photocopy of representation. 20-22
7. Vakalatnama.

In the High Court of Judicature at Patna

( Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.                      of 2012

Abhisek Kumar .....Petitioner

Versus

The State of Bihar and others.....Respondents.

Synopsis.

Prayer :- For issuance of a writ in the nature of  
Mandamus for giving a direction to appoint the petitioner  
on the post of Panchayat teacher on Compassionate ground  
as his brother who was unmarried and a Panchayat  
teacher in Middle School Kahartoli, Block Puraini  
District Madhepura is missing since 30.8.2007.

Relevant facts:

That the Brother of the petitioner who was  
unmarried and a Panchayat teacher in  
upgraded Middle School Kahartoli Block  
Puraini District Madhepura is missing  
since 30.8.07.

2.

That the petitioner who possess a qualification and all criteria to be appointed as a Panchayat made an application for appointment on compassionate ground in view of policy decision of govt , but no action has been taken as yet.

Hence this writ petition.

In the High Court of Judicature at Patna

( Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No.                      of 2012

In the matter of an  
application Under Article  
226 of the Constitution of  
India.

And

In the matter of :-  
Abhisek Kumar S/O Pramod Prasad Yadav  
resident of Village Phulpur P.S.Puraini District  
Madhepura .....Petitioner

**Versus**

1. The State of Bihar through District Magistrate  
Madhepura.
2. District Programme Officer, Madhepura.  
    ... Respondents.

2.

To,

The Hon'ble Ms Justice Rekha M.Doshit, the Chief  
Justice of the High Court of Judicature at Patna  
and her companion Justices of the said Hon'ble  
Court.

~~XXXXXXXX~~

The humble petition on

behalf of the petitioner

named above

Most Respectfully sheweth:-

1. That this is an application for issuance of a writ in the nature of Mandamus for giving a direction to appoint the petitioner on Compassionate ground on the Sanctioned and vacant post of Panchayat teacher.
2. That following questions arises for Consideration before this Hon'ble court.

3.

- (A) Whether the absence of the petitioner's brother since 30.8.2007 makes presumption of his death or not ?.
- (B) Whether such a long absence of brother of the petitioner's entitles the petitioner to be appointed on compassionate ground or not ?.
- (C) Whether in view of govt. circular the petitioner is entitled to be appointed on Compassionate ground or not ?.
- (D) Whether non consideration of appointment of the petitioner creating a great economic hardship in the family or not ?.

4.

(E) Whether the action of the respondent is arbitrary, malafide capricious in nature or not ?.

3. That the petitioner is a citizen of India and lives within territorial Jurisdiction of this Hon'ble court.

4. That the brother of the petitioner namely Prince Kumar S/O Pramod Kr. Yadav who was posted as a Panchayat teacher in Middle School Kahartoli Block Puraini District Madhepura has been missing from his home since 30.8.2007 and inspite of all efforts he has not been located as yet.

5. That the brother of the petitioner who is missing since 30.8.2007 was unmarried and the concerned School where the brother of the petitioner was posted has also issued certificate in that regard.

5.

A Photocopy of Certificate  
issued by Principal dt.  
1.12.2011 is annexed herewith  
and marked as Annexure-1 to this  
petition.

6. That the Govt. of Bihar by enlarging the scope of provision for appointment on compassionate ground has decided to grant Compassionate appointment of brother also in case of death of the unmarried employee in compliance of order passed by this Hon'ble court in case of Durgi Devi Vs.State of Bihar.

7. That in compliance of order passed by this Hon'ble court in Durgi Devi Vs.State of Bihar the Govt. has decided to give Compassionate appointment of brother also in case of death of unmarried employee



6.

and it has further been decided that the employees who are missing for two years will be considered dead

8. That in view of the abovementioned decision of the Govt. the brother of the petitioner who is missing since 30.8.2007 has been considered as a dead, and the petitioner who fulfills all that requisite qualification for appointment as a Panchayat teacher made his application for appointment on Compassionate ground alongwith all requirements.

A Photocopy of application form is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this petition.

9. That the petitioner possess s the required

7.

qualification for appointment as a Panchayat teacher which he has already submitted before the authority concerned, and the same are also annexing herewith.

A Photocopy of educational certificates are annexed herewith and marked as Annexure -3 series.

10. That there are no other family members in the family of the petitioner has been remained who are employed as a Govt. Servant, and after demand death of the brother of the petitioner there is no other source of income of the family of the petitioner

11. That the petitioner has also sworn affidavit for maintaining all his family members after getting compassionate appointment, and their orner family members have also filed affidavit for making appointment

8.

of the petitioner on Compassionate ground.

A Photocopies of affidavits  
are annexed herewith and marked  
as Annexure-4 series.

12. That the petitioner also filed several  
representation before the authority concerned for  
redressal of his grievances, but no action has  
been taken as yet.

A Photocopy of representation  
is annexed herewith and  
marked as Annexure-5 to this  
petition.

13. That the petitioner left no remedy other than  
to move this Hon'ble court.

14. That no other application for similar relief  
has earlier been filed by the petitioner before this  
Hon'ble court.

9.

It is therefore prayd that your  
lordship may graciously be pleased to  
issue Rule Nisi calling upon the respon-  
-dentsto show cause as to why the relief  
prayed in the present application may not  
be allowed.

And

After return of the rule same may be  
made absolute.

And /or

pass such other order/orders as your

lordship may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

10.

Affidavit.

I, Abhisek Kumar aged about 21 years S/O Pramod Prasad Yadav resident of Village Phulpur P.S. Puraini District Madhepura, do hereby solemnly affirm and say as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read by me which I have understood.
3. That the statement made in paragraph nos. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 are true to my knowledge and those made in paragraph nos. 5, 8, 9, 11 are true to my information derived from the record of the case and rest are by way of submission of this Hon'ble court
4. That the annexures are true/photocopies of its originals.

Annex-1

- 11 -

Annex-1

प्रमाणित किया जाता है कि प्रिन्स कुमार, पंचाशत  
- विश्वविद्यालय का छात्र है जिसे शुचिता अनुपस्थित

दिनांक 01/12/2011

प्रमुख अधिकारी  
विद्यालय काशीखोली  
सं. 10/1/2011

## सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की सरकारी सेवा में नियोजन संबंधी अनुशंसा के लिए प्रपत्र

### खण्ड-1

1. (क) मृत सरकारी सेवक का नाम :- प्रसि कुमार
- (ख) उनका पदनाम, वेतनमान प्राप्त वेतन उपायुक्त शिक्षक, 40000.00 (चार हजार 00 भाग) नियत वेतन  
तथा स्थापना जहाँ मृत्यु के पहले सेवारत थे :- 30 मध्य विद्यालय कहरदोली, प्रकण्ड पुरी की  
गिठ मण्डौरा
- (ग) मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु का कारण :- 30-08-2007 लापता
- (घ) प्रदत्त सेवा की कुल अवधि :- 02 वर्ष 02 माह 26 दिन
- (ङ.) स्थायी थे या अस्थायी :- स्थायी
2. (क) सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम :- अभिषेक कुमार
- (ख) उनका मृत सरकारी सेवक से सम्बन्ध :- भाई
- (ग) जन्म तिथि :- 05-03-91
- (घ) शैक्षणिक योग्यता :- आई.ए. कला
- (ङ.) क्या मृत सरकारी सेवक के कोई अन्य  
आश्रित की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार नहीं  
पर पहले हुई है, यदि हो तो पूर्ण चोरा दें।
- (घ) विवाहित अथवा अविवाहित :- अविवाहित
- (ङ.) विवाह की तिथि (तिथि स्मरण न हो तो, माह एवं वर्ष) :-
- (ज.) यदि विवाहित है तो क्या विवाह में  
दहेज का लेन-देन हुआ था शून्य  
उसका आश्वासन हुआ था अथवा
3. मृत सरकारी सेवक की कुल सम्पत्ति का  
विवरण निम्नांकित मदों की राशि सहित
  - (क) परिवारिक पेंशन :- शून्य
  - (ख) डी0 सी0 आर0 ग्रेच्युटी :-
  - (ग) सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि :- शून्य
  - (घ) जीवन बीमा पॉलिसी :- शून्य
  - (ङ.) चल एवं अचल सम्पत्ति एवं उनसे  
परिवार की वार्षिक आय :- 70 (सत्रह हजार)

**खण्ड-2**

1. (क) नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम - अक्षय कुमार  
(ख) मृत सरकारी सेवक से उसका सम्बन्ध - भाई  
(ग) शैक्षणिक योग्यता, उम्र (जन्म तिथि) - आई.ए. कला  
एवं अनुभव यदि हो तो ।  
(घ) पद जिस पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव किया जा रहा है । शिक्षक  
(ङ) क्या प्रस्तावित पद पर सीधी नियुक्ति दी जा सकती है ? हाँ  
(च) क्या उम्मीदवार पद के लिये विहित अर्हता (उम्र सम्बन्धी अर्हता सहित) धारण करता है - हाँ  
(छ) नियोजनालय की प्रक्रिया के शिथिलीकरण करने के अलावे क्या अन्य कोई शिथिलीकरण भी अपेक्षित है ? नहीं  
यदि हाँ तो विवरण दें -
2. क्या खण्ड 1 में उल्लिखित तथ्यों की कार्यालय/विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच कर ली गई है ? हाँ
3. क्या मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति, नियुक्ति का विहित प्रक्रिया का तथा आरक्षण नीति का अनुपालन करते हुए रोस्टर बिन्दु के अनुसार की गई थी ? हाँ
4. क्या आवेदक विवाहित है ? यदि हाँ तो विवाह के समय उनकी उम्र क्या थी ? नहीं
5. क्या आवेदक की दो पत्नियाँ/पति जीवित हैं ? नहीं
6. क्या आवेदक ने विवाह में राज लेने-देने का कार्य किया था अथवा उसका आश्वासन लिया/दिया था ? नहीं
7. मृत सरकारी सेवक जहाँ अंतिम समय में कार्यरत थे वहाँ के कार्यालय प्रधान का पूर्ण हस्ताक्षर, तिथि एवं कार्यालय की मुहर  
श्याम शम  
24/01/2012  
प्रधानाध्यापक  
सतकमिन मध्य विद्यालय कहरटोली  
प्रचल-पुरी (मधेपुरा)
8. नियंत्रण पदाधिकारी/विभागाध्यक्ष (यदि वे कार्यालय-प्रधान के वरीय पदाधिकारी हों), की अनुशासण :-





16

MINISTRY OF EDUCATION  
GOVERNMENT OF INDIA  
NEW DELHI

ABHISHEK KUMAR

PROFESSOR

B.V.R. COLLEGE OF EDUCATION, MADHEPURA

0315

30313

4000001 011910/08

0000000000

ARTS

NON-HINDI	050	015	032		
ALTERNATIVE ENGLISH	050	015	023		055
MATHS	100	030	047		047
POLITICAL SCIENCE	100	030	048		048
ZOOLOGY	100	033	039	028	067
BIOLOGY	100	033	036	029	065


THREE HUNDRED EIGHTY TWO

282

BY DIVISION

Annex-

Annex 17



सम्बन्ध में,

श्री सज्जन कुमार  
नोटरी पब्लिक,  
उदा किरातपुरा।

श्री पद्म-पत्र  
=====

मैं प्रमोद प्र० यादव पिता स्व० किरात प्र० यादव सा०- पुनपुर  
पो०- मकदमपुर शाना- पुरैने, जिला-मधेपुरा ईम से सत्य प्रिथता  
पूर्वक बयान करता हूँ:-


1. यह कि, मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि, मेरा पुत्र प्रिंस कुमार पिता प्रमोद प्र० यादव उत्कृष्ट मध्य विद्यालय कटहटोली अंचायत शिक्षक के पद पर पदस्था पित थे जो 30.08.2007 से लापता है जिसे मिलने को कोई आशा नहीं है।
3. यह कि, उक्त पुत्र ही मेरे घर का एकमात्र कर्त्ता पुत्र था।
4. यह कि, मैं अपने उक्त पुत्र प्रिंस कुमार को जगह दूसरा पुत्र अश्विनी कुमार को अनुकम्प के आ धर घर नौकरी दिलवाना चाहता हूँ जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और यह भविष्य में होगी।
5. यह कि, उक्त पुत्र एक कर्मठ शिक्षित बेरोजगार युवक है।
6. यह कि, उक्त पुत्र के प्रिंस कुमार के आश्रितों को भरण पोषण करने हेतु तैयार है।
8. यह कि, यह श्री पद्म-पत्र मे स्वस्थ मस्तिष्क से शांतिचित अवस्था में बिना किसी जोर दबाव के राजी- रक्षुशो से कर रही है। जो प्रमाण रहे।

पहचान कर्त्ता  
अधिवक्ता।

श्री पद्म-पत्र  
शपथकर्त्ता

Identified by  
Assistant Mr. Yadav  
21.01.012 ASW.

01/01/12



सम्बन्ध में,

श्री सज्जन कुमार  
नोटरी पब्लिक,  
उदा किशुनगंज।

शापथपत्र

===== मैं मोरिा देवी पति प्रमोद कु० यादव सा०- फुसपुर, पो०- मकद मपुर  
शुना- पुरैनी, जिला- मधेपुरा इम से सत्य निष्ठा पूर्वक बयान करत  
हूँ:-

1. यह कि, मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।
2. यह कि, मेरा पुत्र प्रिंस कुमार जिला प्रमोद प्र० यादव उत्कृष्ट मध्य विद्यालय कहरटोली हुंचायत शिक्षक के पद पर पदस्थापित है जो दिनांक- 30.03.2007 से लापता है जिसे मिलने की कोई आशा नहीं है।
3. यह कि, उक्त पुत्र हि मेरे घर का एकमात्र कर्तार्थ पुत्र है।
4. यह कि, मैं अपने उक्त पुत्र प्रिंस कुमार की जगहे दूसरा पुत्र अभिषेक कुमारकी अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दिलवाना चाहती हूँ जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न हि भविष्य में होगी।
5. यह कि, उक्त पुत्र एक कर्मठ शिक्षित बेरोजगार युवक है।
6. यह कि, उक्त पुत्र के प्रिंस कुमार के आश्रितों की भरण पोषण करने हेतु तैयार है।
7. यह कि, यह शापथपत्रमेस्वर इम स्थितस्वो शांतचित्त अवस्था में बिना किसी जोरदबाव के राजी- खुशी से कर रही हूँ जो प्रमाण रहे।



श्री. देवी

शापथकर्ता

पहला कर्तार्थ  
अभिषेकता

Identified by  
Astrologer Mr. Jendou Ach  
21.01.07

21.01.07



सम्बन्ध में,  
श्री सज्जन कुमार  
नौदरौ पेशवा,  
उदा किराणावा !

शपथ-पत्र

मैं अभिनेता कुमार पिता प्रमोद प्र० पादव सा.० कुलपुर , पत्नी-  
मकरमपुर बाना- पुरैनी, जिला-मधेपुरा ईमें से सत्य निष्ठा पुरुषक  
बयान करता हूँ :-

1. यह कि, मैं उपरोक्त पत्रे का रक्षायी निवासी हूँ।
2. यह कि, मेरा भाई प्रिंक कुमार पिता प्रमोद प्र० पादव उत्कृष्ट मध्य विद्यालय कहरटोली झंजायत शिक्षक के पद पर पदस्थापित है जो दिनांक- 30.08.2007 से लापता है जिसे मिलने की कोई आशा नहीं है।
2. यह कि, उक्त भाई हि मेरे घर का एकमात्र कर्त्ता है।
3. यह कि, मेरे भाई के अलावा मेरे परिवार के कोई भी सदस्य सरकारी या गैर सरकारी पद पर पदस्थापित नहीं है।
4. यह कि मैं अपने भाई के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर नौकरी ग्रहण करना चाहता हूँ।
5. यह कि, मैं उक्त भाई प्रिंक कुमार के आश्रितों को भरण पोषण करने का तैयार हूँ जिसमें किसी भी प्रकार का अनियमितता पाये जाने पर नियोजन पदाधिकारी को यह अधिकार होगा कि मेरा नियोजन रद्द कर दें जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
6. यह कि, उक्त नियोजन हेतु मेरे पिता, माता, की सहमति पत्र टो जा चुकी है।
7. यह कि, मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य के शादी विवाह में तिलक दहेज नहीं दूंगा और न हि लूंगा।
8. यह कि, यह शपथ-पत्र मेरे स्वयं मस्तिष्क से शाह-तचित्तता के बिना किए जोर दबाव के राजी-रखुरी से कर रहा हूँ जो प्रमाण रहे।

पहचानकर्ता  
अधिकारी  
*(Signature)*

श्रीमधेक कुमार  
शपथकर्ता  
*(Signature)*  
21.01.2012

*(Faint handwritten text)*

सेवाने  
श्री मातृ जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी महेन्द्र मधेपुरा  
विषय - नवीन नियोजित शिक्षक के रूपांतर अनुक्रमों के आधार  
पर नियोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय -  
सादर विवेदन है कि मैं ~~अभिषेक कुमार पिता प्रमोद~~  
यादव पंचायत मकदमपुर (फुलपुर) प्रखण्ड पुरानी जिला मधेपुरा  
का पासी हूँ। मैं शिक्षित बेरोजगार हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता  
अभिज्ञ कला है। मैं दो भाई या बड़े भाई का नाम प्रियस कुमार  
जो उद्योगिता मध्य विद्यालय पंचायत मकदमपुर (कहटौली) में  
शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जो अविवाहित भी थे। उनकी  
फर्माई पर हम एवं माता-पिता आश्रित थे। दुर्भाग्यवश दिनांक 30-08-07  
से स्नापना है निम्नका अर्जीतक कोई उता-पता नहीं है। दैनिक समाचार  
पत्रिका दैनिक जागरण दिनांक 16 नवम्बर 2008 में प्रकाशित किया गया  
है कि अविवाहित वर्गों के मौत एवं स्नापना होने पर उनके आश्रित  
को अनुक्रमों के आधार पर नौकरी दी जाएगी जिसमें यह भी  
कहा गया है, आश्रितों में माँ, छोटे बहन, एवं छोटे भाई होगा।  
श्री मातृ का रूपांतर आश्रित करना चाहूँगा नवीन नियोजित शिक्षक  
के बदले अनुक्रमों के आधार पर नियोजित किया जाता है। ऐसा  
भी उद्धृत किया गया है कि यह प्रावधान शिक्षक नियोजन  
निधमावली लागू होने की तिथि 01-07-06 से प्रभावी होगा।

दिनांक पत्रांक 7 विधि 297/08, (03519) दिनांक  
09-09-08 इस तरह का उल्लेख किया  
गया है समाचार पत्र में यह भी उद्धृत

किया गया। स्नापना की तिथि में दो वर्ष में ले मुन  
माना जाएगा। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता  
की छाया प्रति संलग्न है उपरोक्त परिस्थितियों में मुझे  
अनुक्रमों के आधार पर नौकरी पाने का एक प्राप्त होगा है।  
अतः श्री मातृ से सादर विवेदन है कि  
मुझे निम्नप्रकार नियोजित करने का आदेश देने की अर्जी  
कृपा की जाती।

श्री मातृ का विश्वासी  
अभिषेक कुमार  
पिता - प्रमोद प्रमोद  
गाँव फुलपुर  
मकदमपुर  
बाग, पूरबी

बनारस -

सेवा में,

श्रीमान जिला शिक्षा कार्यलय वदाधिकारी महोदयस्य मधुर

विषय: - नव नियोजित शिक्षक के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर  
नियोजित करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सादर निवेदन है कि मैं श्री अशोक कुमार पिता प्रमोद प्रसाद या  
यादव ग्राम पंचायत मकमपुर [मुक्तपुर] प्रखण्ड गुरेनो जिला - मधुरा का वासी  
हूँ। मैं शिक्षित बेरोजगार हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता आईएलए है। मैं  
दो भाई था बड़े भाई का नाम पुरी कुमार जो उत्कृष्ट मध्य विद्यालय  
पंचायत मकमपुर [कहर टोली] में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जो  
अविवाहित भी थे। उन्हीं के कमाई पर हम एवं माता - पिता आश्रित  
थे। दुर्भाग्यवशात् दिनांक - 30-08-07 से लापता है जिनका अभी तक कोई  
आता पता नहीं है। दैनिक समाचार पत्रिका दैनिक जागरण दिनांक -  
16 नवम्बर 2006 में प्रकाशित किया गया है कि अविवाहित कर्मों के  
मौत एवं लापता होने पर उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर  
नौकरी दी जायेगी जिसमें वह भी कटा गया है, आश्रितों में माँ, छोटा  
बहन एवं छोटा भाई होगा। श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा  
नव नियोजित शिक्षक के बदले अनुकम्पा के आधार पर नियोजित किया  
जाता है।

Cont 20

2\*

जाता है। ऐसा भी उद्धृत किया गया है कि यह प्रावधान शिक्षक  
नियोजन नियमावली लागू होने की तिथि 01-07-06 से प्रभावित  
होगा।

विभागीय पत्रांक 7 वि० 1297/08/3351/9 दिनांक-  
09-09-06 इस तरह का उल्लेख किया गया है। समाचार पत्र में यह भी  
उद्धृत किया गया तापता की स्थिति में दो वर्ष में ही हल माना जाएगा।  
आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की जाया प्रति संलग्न है। उपरोक्त  
परिस्थितियों में छुट्टी अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने का हक प्राप्त  
होता है।

अतः श्रीमान से तादर निवेदन है कि छुट्टी नियमावली  
नियोजित करने का आदेश देने की अंतिम कृपा की जाय।

श्रीमान का विश्वासी  
हउ/- अशोक कुमार  
पिता - प्रमोद प्र० यादव  
ग्राम - कुलपुर  
पेठ - मकमूर ,  
थाना - पुरेनी



सेवा में

श्री मान् जिला पदाधिकारी महोदय मधेपुरा

विषय- नियोजित शिक्षक के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय

साहब किसे यह कि मैं अभिषेक कुमार पिता प्रदीप कुमार  
 आप सेनायत मधेपुरा (मुलपुर) सरका सुर्नी जिला मधेपुरा  
 का बाली हूँ। मैं शिक्षित बैरीजवार हूँ। मेरी शैक्षणिक  
 योग्यता आदि कला है। मैं दो बहिन ~~अभिषेक~~ का नाम  
 प्रियंका कुमारी और विक्रमिती मध्य विद्यालय में शिक्षक के रूप  
 में कार्य कर रही हूँ। मैं अनिवाहित नहीं हूँ, उम्मीद है कि मैं  
 हम एक माता-पिता अर्थात् हैं। मुझे 30-08-07 को  
 मरी है। मैंने जगन्नाथ पत्रिका 'दैनिक जागरण' दिनांक  
 16 जनवरी 2008 में प्रकाशित किया गया है कि अभिषेक  
 कर्मी के मौत एवं लापता होने उनके आश्रितों को अनुकम्पा  
 के आधार पर नौकरी दी जाएगी जिसमें यह भी कहा गया  
 है, आश्रित में मैं छोटी बहन एवं छोटी बहिन हूँ।  
 श्री मान् का स्थान अनुकम्पा करना चाहेंगा न कि नियोजित  
 शिक्षक के स्थान अनुकम्पा के आधार पर नियोजित किया  
 जाता है। ऐसा ही उक्त किया गया है कि यह प्रावधान  
 शिक्षक नियोजित नियमावली लागू होने की तिथि 1.08.08  
 से प्रभावी होगा। विभागीय फॉर्म नम्बर 297/02, 335/19  
 दिनांक 09-09-08 इस तरह का उल्लेख किया गया है।  
 समान्तरा में उक्त किया गया लापता की रिपोर्ट  
 दौक में ही गुर गाना जाएगा। आवेदन के साथ मेरी  
 योग्यता की प्रतिलिपि संलग्न है। उपरोक्त परिस्थिति  
 मुझे अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने का हक  
 है।

उत्तः श्री मान् से साहब निवेदन है कि मुझे नियोजित  
 नियोजित करने का आदेश देना कृपया करके

अभिषेक कुमार  
 श्रीमान् का स्थान  
 फिरो- 4/1/08/40 मुदि  
 20/1/2012

Cont 21

2.

होने की तिथि 1-07-06 से प्रभावी होगा। विभागीय पत्रांक-7150।  
297/08,33519 दिनांक-09-09-08 इस तरह का उल्लेख किया गया  
है। समाचार पत्र में यह भी उद्धृत किया गया तापता की स्थिति में  
दो वर्ष में हो सुत माना जाया। अपेदन के साथ प्रोत्साहित योग्यता  
की गया प्रतिबन्धन है। उपरोक्त परिस्थितियों से अनुकूल्य के आधार  
पर नौकरी जाने का हक प्राप्त होता है।

अतः श्रीमान् से तादर निवेदन है कि छुटे नियमावली  
नियोजित करने का आदेश देने को अतीव कृपा की जाए।

हस्ताक्षर- श्री भूषेण कुमार  
पिता - प्रमोद प्रो यादव  
ग्राम-कुलपुर  
पोंड - कदमपुर  
धाना - धुरैनी

श्रीमान् विद्यापीठिका महाशिकायी महीदय

विषय - नवनिर्वाचित शिक्षक के इलाज पर अनुकम्पा के आधार पर नियोजित करने के संबंध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं अजिषेक कुमार पिता-प्रमोद प्रयाग पंचायत मकहमपुर (फुलपुर) प्रखंड पुरैनी जिला प्रयाग का वासी हूँ। मैं शिक्षित बौद्धिक हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता आई० कला है। मैं दो भाई हूँ, बड़े भाई का नाम प्रिंस कुमार जी उत्कर्मित मध्य विद्यालय पंचायत मकहमपुर (कहरौली) में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। मैं अविवाहित भी हूँ। उनकी कमाई पर हम एवं माता-पिता आश्रित हूँ। दुर्भाग्यवश दिनांक 30-8-07 दैनिक समाचार पत्रिका दैनिक जागरण दिनांक 16 नवम्बर 2008 में मेरी अविवाहित विवाह प्रथा है कि अविवाहित कर्मियों के मौत एवं शापना होने पर उनकी आश्रितों का अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी जायगी जिसमें यह भी कहा गया है, अशिक्षितों में जो किसी बहन एवं स्त्री भाई होगा।

श्रीमान् का कृपया आकृष्ट करना चाहूंगा नवनिर्वाचित शिक्षक के बढी अनुकम्पा के आधार पर नियोजित किया जाय। ऐसा भी उद्धृत किया गया है कि यह प्रावधान शिक्षक नियोजन नियामावली लागू होने की तिथि 01-07-06 से प्रभावी होगा।

विभागीय आदेश संख्या 297/08, (93519) दिनांक 09-09-08 अशा तरह का उल्लेख किया गया है। समाचार पत्र में यह भी उद्धृत किया गया शापना की स्थिति में दो वर्षों की छुट्टी माना जाएगा। आवेदन के साथ शैक्षणिक

योग्यता की प्रमाण पत्र संलग्न है उद्योग पर परिस्थितियों में मुझे अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने का एक आदेश देता हूँ।

अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि मुझे नियोजित करने का आदेश देने के असीम कृपा की जाय।

श्रीमान् का विश्वासी

अजिषेक कुमार  
पिता-प्रमोद  
27/11/2012

अनेकरावर -

तेवा में,

श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय,

विषय: - नवनिर्गमित शिक्षक के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर  
नियोजित करने के संबंध में।

महाशय,

सादर निवेदन है कि मैं श्री अशोक कुमार पिता प्रमोद प्रो चाण्ड  
पंचायत मकदमपुर [पुलपुर] प्रखंड-पुरेनो, जिला-मथुरा का वासी हूँ। मैं  
शिक्षा बेरोजगार हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता आई० ए० है। मैं दो भाई था,  
बड़े भाई का नाम प्रिंस कुमार जो उत्कृष्ट मध्य विद्यालय पंचायत मकदमपुर  
[कहरटोली] में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जो अविवाहित भी थे। उन्हीं के  
कमाई पर हम सब माता - पिता आश्रित थे। दुभाग्यवश दिनांक-30-6-07  
से लापता है जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। दैनिक समाचार पत्रिका  
दैनिक जागरण दिनांक- 16 नवम्बर 2008 में प्रकाशित किया गया है कि  
अविवाहित कर्मों के मौत से लापता होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा के  
आधार पर नौकरी से जारगी जिलमें यह भी कहा गया है आश्रितों में मैं  
सोटा बहन से जोटा भाई होगा।

श्रीमान का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा नवनिर्गमित शिक्षक के  
बने अनुकम्पा के आधार पर नियोजित किया जाता है। ऐसा भी उद्धृत किया  
गया है कि यह प्रावधान शिक्षक नियोजन नियमावली लागू होने की तिथि-  
01-07-06 से प्रभावी होगा।

Cont 22

2.

विभागिय पत्रांक-नं० 012/7/00, [33519] दिनांक-09-09-08

इस तरह का उल्लेख किया गया है। समाचार पत्र में यह भी उद्धृत किया गया  
लापता की स्थिति में दो वर्ष में ही मृत माना जाएगा। आवेदन के साथ  
श्रीधरिका योग्यता की जाया प्रतीत संलग्न है उपरोक्त परिस्थितियों में  
श्री अनुकम्पा के आधारक पर नौकरी पाने का एक प्राप्ति होता है।

अतः श्रीमान से सादर निवेदन है कि श्री निम्नमातृकार  
निर्धारित करने का आदेश देने को आशय क्या को जाय।

श्रीमान का विश्वासी  
एच/श्रीधर कुमार

पिता प्रमोद प्र० यादव

ग्राम- कुलपुर

पोस्ट- मल्हपुर

थाना - सुरेनी ।